के भय से यात्रियों ने अपना धन भी व्यवस्थापक पर जमा कर दिया था। प्रत्येक यात्री से 1,217 रू० किराया तथा 351 रू० भोजन व्यय लिया गया था। मथुरा पहुंचने पर यात्रियों को यह पता चला कि व्यवस्थापक महाशय गायब हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन आगामी यात्रा स्थल की ओर नहीं बढ़ सकी और उस पर रेल नियमों के अनुसार "डेमरेज" बढ़ता गया जो 2,000 रू० प्रति दिन है।

दुखी और बेबस यात्रियों से सम्पर्क करने पर पता चला कि सारा पैसा व्यवस्थापक को दे देने के कारण न तो वे वापस घर जा सकते हैं और न उनके पास खाने पीने की व्यवस्था है। पेट भरने के लिए स्त्रियों के आभूषण बेच बेच कर उन्होंने खाने पीने का काम चलाया। इन यात्रियों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी काफी संख्या में थे। यात्रियों के एक प्रवक्ता के अनुसार उनका लगभग 8 लाख रु० व्यवस्थापक पर है और वह तथा उसके साथी इस धन की बेईमानी करने के इरादे से भाग गए हैं। यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्होने जी० आर० पी० मथुरा को इस धोखाधड़ी की शिकायत की है किन्तु दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त व्यवस्थापक को तुरन्त गिरफ्तार कराके शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्यवाही अमल में लायें ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकार यह भी पता लगाए कि सभी यात्री सकुशल अपने घर वापिस पहुंचे या नहीं। यदि नहीं पहुंचे तो उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाये तथा व्यवस्थापक द्वारा उन से लिया गया धन उन्हें वापिस कराया जाये।

12.31 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY SPEAKER: Now legislative business.

Bills for consideration and passing.

Shri Bhishma Narain Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, I beg to move:*

"that the Bill further to amend the salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

According to Section 8A of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, a person who has served for a minimum period of 5 years as a Member of Parliament is eligible to the grant of pension. In 1981, the Act was amended to provide pension even to a person whose qualifying period for a period of 5 years fell short of not more than 60 days.

Sub-section (3) of Section 8A of the Act puts a restriction on the grant of maximum amount of pension to a Member of Parliament if he is also entitled to any other pension from the Central Government or any State Government etc. Where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is equal to or in excess of that to which he is other-

*Moved with the Recommendation of the President.

[Shri P. Venkatasubbiah]

wise entitled, such person is not entitled to any other pension.

If the amount of pension is less than that to which he is entiled as ex-MP, he is entitled to pension under that sub-section only of an amount which falls short of the amount of pension to which he is oherwise entitled.

The Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme provides for the grant of pension to freedom fighters in recognition of their service and sacrifice for the cause of the country's freedom. Most of the members and ex-Members are qualified to receive this Samman pension. However, in view of the restriction placed in sub-section (3) of section 8A of the Act, many of the ex-MPs are deprived of this benefit. A demand has been made on the floor of the House as well as outside that the ex-MPs should be granted both these pensions that is, as ex-Members of Parliament and as freedom fighters. In order to remove this difficulty, the proposal was examined as to whether the change in nomenclature of the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme could help them to draw both the pensions. The Law Ministry opined that any change in the nomenclature in the Swatantrata Sainik Samman Pension would not change its nature and it would continue to be a pension. It was suggested by Law Ministry to consider the feasibility of amending the Act. Hence this Bill.

Although the exact number of beneficiaries is not known, it is hoped that about 200 to 250 ex-MPs who are freedom fighters are likely to be benefited by this amending Bill. It is estimated that this provision would involve an expenditure of Rs. 7.50 lakhs per annum.

The Government feel that the pension payable to ex-MPs who are freedom fighters under Swatantrata Sainik Samman Pension Sheme, is really for the purpose of honouring those who participated in the freedom struggle.

I feel and hope that the provisions of this Bill would receive unanimous support from all sections of the House. With these few words, I commend the Bill for consideration of the House.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

Now time allotted for the Bill is 1½ hours. Shri Sudhir Kumar Giri. . .(*Interruptions*).

It is a non-controversial Bill and it should not take more time. The Chair would see that it is finished within the time allotted by the Business Advisory Committee.

Shri Sudhir Kumar Giri.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, by this amending Bill, the Government has expressed its keen desired for giving some more benefits to the Members of Parliament who were ex-MPs and who were the freedom fighters.

While discussing this Bill, I have no hesitation to pay my heartfelt regards to those who fought against the British Imperialism. Many members, many people, lost their lives; they risked their lives to get freedom.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you were there, you would have also participated in that.

SHRI SUDHIR GIRI: It may be.

AN HON. MEMBER: We fought for the second freedom.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But, it did not last long.

SHRI SUDHIR GIRI: They sacrificed everything and they fought to bring about freedom. Here we have got political freedom and not economic

freedom. I would request those freedom fighters who are surviving to recollect whether they fought for their own interests or for the cause of the whole of the nation because, I find today that some of the freedom fighters are now working on those lines which can serve their own interests?.

I do not agree that all of the freedom fighters are now thinking on those lines. But, some of the freedom fighters who are surviving are looking to their own interests and not serving the interests of the nation or the people.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, let him oppose the Bill as an Opposition Member. But, let him not cast aspersions on those people who sacrificed everything to fight for the freedom.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not casting any aspersion.

SHRI SUDHIR GIRI: Sir, I am not casting any aspersion on the real freedom fighters. I am only telling that there are some freedom fighters. Would the hon. Minister please deny that there are some freedom fighters who fought for their own interests and who have chosen their own ways to serve their own interests? Can you deny this? There are some freedom fighters of this type.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: One who thinks on this line is not a freedom fighter.

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार): हम को यह शिकायत है कि श्री रामानन्दन मिश्र, फ्रीडम फाइटर, आज मृत्यु-शय्या पर हैं और सरकार की तरफ से उनकी खैर-खबर नहीं पूछी जा रही है। श्री कमलापति जैसे पुराने साथी जानते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानी की थी। वह जेल तोड़ कर निकले थे। आज वह सख्त बीमार हैं।

SHRI SUDHIR GIRI: Sir, to remove all kinds of doubts from the Members present here, I want to emphasise again that I have great regards for those who struggled hard to fight against the British Imperialism to achieve freedom. I have no hesitation to admit this, we have achieved political freedom but we have not yet achieved economic freedom. I want to say this that without economic freedom, a vast majority of the people cannot get the real banefits.

I would like to point out and emphasise the fact that without economic freedom, a vast majority of the people cannot get real benefits. They are not benefited at all. For example, the Planning Commission has estimated that about 48.6 per cent people are living below the poverty line. So, I find that the economic freedom has not yet been achieved. We are still on the way; we are struggling hard to achieve certain economic freedom.

At present the economic situation is so bad that if you take the trouble to travel through the villages you will find that almost all the people there are living below the poverty line. Same is the situation in the villages of my State. They live under sub-human conditions. They are not getting even two square meals a day. There are so many people who are unemployed. Because of the Government's credit squeeze policy the workers are being retrenched. The old agriculturists after their life-long suffering are not getting food. Widows are also facing the same plight. We are opposing this Bill in the light of the present situation and the former MPs should not get another benefit as they want today.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons it is stated that the Government is going to honour the freedom fighters. There are several ways of honouring them. They may be given 'Samman Patra' or something else and by honouring them in terms of money, I think, it will be doing dishonour to them because they did not fight British Imperialism for money but they want-

[Shri Sudhir Giri]

ed to end exploitation of man by man and this objective has not been achieved so far. So, I would request the freedom fighters to for go all these things as they are already getting pension as an ex-member of Parliament to the extent of Rs. 500/- or Rs. 350/- p.m. as the case may be.

I tehrefore, again humbly pay my heart-felt tributes to the freedom fighters and would request them not to insist on getting these benefits. With these words I totally oppose this Bill. In this connection I want to point out when Mr. Daga brought forward a Bill to increase different facilities for MPs we opposed it but the Press reported that almost all the MPs of all parties supported the Bill. So, I want to say in unequivocal terms that I oppose this Bill.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भीष्म नारायण सिंह जी संसदीय कार्य मंत्री जो सामने बैठे हैं, पार्लियामेंट को एक ढंग से चलाते हैं, सब का सहयोग प्राप्त करते हैं। वह जानते हैं कि किस तरह सदस्यों की सुविधा और सुख का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। श्री वेंकटसुब्बैया ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्बन्ध में यह नान-कांट्रोवर्शल बिल है जिस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात में यहां पर कहना चाहता हूं कि जो सेनानी आज देश की समस्याओं से जुझते हैं, वे जब राजनीति में आते हैं और उसके बाद अपना तन और मन समर्पित कर देते हैं उनके सम्बन्ध में जब तथ्यों के आधार पर आपका ध्यान आकर्षित किया कि यहां पर, अविकसित तथा विकसित देशों में संसत्सदस्यों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं तथा यहां के राज्यों में जो विधान मण्डल के सदस्यों को वेतन और भत्ते मिलते हैं, उस से भी कम वेतन और भत्ता संसत्सदस्यों को मिल रहा है। उनकी कठिनाइयों की ओर भी आपका पूरा ध्यान आकर्षित किया गया। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने आपके समक्ष कोई डिमाण्ड रखी है या आप से कोई कृपा की भीख मांगी है बल्कि यहां पर सवाल है उनके आत्मसम्मान के साथ रहने को और सहीं ढंग से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने का।

जब आप किसी डाक्टर, इंजीनियर या अन्य सरकारी अधिकारी को अच्छा वेतन देते हैं तो हम समझते हैं कि वे सही रुप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। उसी प्रकार से यह भी ऐसा विषय था जिस पर आप ने आश्वासन दिया था। वैसे यह 1954 का ऐक्ट है जिस में आप अमेन्डमेंट करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि तब से अब तक मंहगाई कितने गुनी बढ़ चुकी है। आपने कहा था कि सभी सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो विचार रखे हैं उन पर आपको पूरी सहानुभूति है लेकिन यह सहानुभूति दिल से होती है, शब्दों से नहीं। जब मन कुछ कहता है तभी मुंह से शब्द निकलते हैं।

आज सी० पी० एम० के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Daga, he has come with an Amendment now before the House.

SHRI MOOL CHAND DAGA: All right, Sir, but he has not included all those things which we have demanded. We have requested for those things along with this Amendment.

MR. DEPUTY SPEAKER: Anyhow, whatever it is, it is a good beginning.

श्री मूल चन्द डागा : हम संसत्सदस्य जिस निर्वाचन-क्षेत्र से आते हैं वहां के मतदाताओं के सुख में हम सुखी और दु:ख में दुखी होते हैं। अगर संसद

सदस्यों की कठिनाइयों की ओर हमारे संसदीय कार्य मंत्री ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जरूर, जरूर।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री जी ने "जरूर, जरूर" बहुत अच्छे शब्द कहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो ज्वाइन्ट कमेटी मुकर्रर की है उसमें सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव्ज़ हैं और उन्होने कहा है कि हमारे वेतन और भत्ते बढ़ने चाहिए। उनकी यूनानिमस रिपोर्ट है। उस कमेटी में सी० पी० एम० के मेम्बर भी हैं, सी० पी० आई के मेम्बर भी हैं और कांग्रेस के मेम्बर भी हैं और सभी ने अपनी यूनानिमस रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट उन्होंने यह दी थी कि हमारे वेतन-भत्तों में वृद्धि होनी चाहिए। हमारा दैनिक भत्ता 101 रु० होना चाहिए और स्पाउस पास बढ़ना चाहिए। हमारे शास्त्री जी, जो कि सी-पी० आई० के मेम्बर है, बहुत बड़े विद्वान हैं....

एक माननीय सदस्य : विद्वान नहीं हैं, कर्मठ हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा था हमें एक स्टैनो दे दिया जाए। उधर हमारे सी० पी० एम० वालों ने कहा था कि हमें एक जरूर स्टैनो दे दिया जाए और हमने कहा था कि हमारे बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं और आपने कहा था कि निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने मलेशिया और पाकिस्तान तथा छोटे-छोटे अविकसित देश, डवेलपिंग कन्ट्रीज़ के फीगर्स कोट किए थे। महाराष्ट्र और हरियाणा का भी उदाहरण पेश किया था। वहां उन छोटे-छोटे राज्यों में विधायकों को संसद् सदस्यों से ज्यादा वेतन भत्ता मिल रहा है। अब हमारे श्री वेंकटसुब्बैया जी यहां सदन में यह बिल ले कर आए हैं, यदि यह पहले आ जाता तो हम उसका स्वागत करते। सवाल यह है कि यदि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो कि देना चाहिए, तो आप जान सकते हैं कि संसद सदस्य कैसे अपनी भूमिकाओं का निर्वाह ठीक तरह से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पोस्टेज का खर्चा बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, एक रुपया के स्थान पर दो रुपये के लिए कहा गया था। उपाध्यक्ष महोदय आप बहुत समय से घण्टी बजा रहे हैं, यह घंटी तो उनके लिए बजानी चाहिए, हम तो घण्टी बजाते-बजाते थक गए। उम्मीद है डिप्टी स्पीकर साहब इस बात को आप भी कहेंगे, अभी तो आप कुर्सी पर आसीन हैं। वेतन भत्ते की मांग इसलिए की गई है कि हम लोगसंसद सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार पालन कर सकें। मुझे उम्मीद है, हमारे जो खर्चे बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, कितने हमें काल्स करने पड़ते हैं, दैनिक समस्यायों बढ़ गई हैं—इन सबको देखते हुए और आप में विश्वास रखते हुए "जरूर-जरूर" शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। इस की भी एक मियाद होनी चाहिए, एक-दो महीने के अन्दर जो भी अमेंडमेंट है, वे कर लीजिए, रूल्स में अमेंडमेंट कर दीजिए, ताकि हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इस संदर्भ में कमेटी की रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत की जा चुकी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत प्रयास के बाद सरकार की तरफ से भूतपूर्व संसद सदस्यों को, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता

[श्री रामावतार शास्त्री]

सेनानी पेंशन देने का निर्णय किया जा रहा है। उदार पेंशन योजना 1-8-1980 से लागू की गई। उसके लागू होते ही स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्यों को को तो पेंशन की राशि मिलने लगी, लेकिन जो भूतपूर्व संसद सदस्य थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं उनको अब तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। पहले विधेयक में जो कमी थी, उस कमी को इस संशोधन के ज़रिए ठीक किया जा रहा है, इसलिए मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं। इस संशोधन से संसद् सदस्य स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता-सेनानियों की पेंशन लेने का अधिकार मिल जाएगा।

मैंने बार-बार इस सवाल को यहां पर उठया है कि स्वतंत्रता सेनानियों में विभेद नहीं करना चाहिये। वह संसद् सदस्य हो या भूतपूर्व संसद् सदस्य हो उनको स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जरूर मिलनी चाहिये, अब इस संशोधन से उनको वह मिल सकेगी। लेकिन मैं माननीय संसद् सदस्यों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा—केवल जबानी उनके प्रति श्रद्धांजलि या अच्छी भावना प्रकट कर देना ही काफी नहीं है। आज वे लोग बहुत कठिनाई में हैं। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उनके प्रति सरकार का भी कुछ कर्त्तव्य होता है और सरकार को अपने उस कर्त्तव्य का अवश्य निर्वाह करना चाहिये। स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक-सम्मान-पेंशन दे कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। यह योजना 1972 में लागू हुई, 1980 में उस में कुछ परिवतन किया गया, लेकिन अभी भी उसमें और ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार का भूतपूर्व संसद सदस्य स्वतंत्रता सेनानियों को ही पेंशन दे कर चुप नहीं बैठना चाहिये। आज उनको जो पेंशन दी जा रही है—300 रुपये की क्या कीमत है उनका परिवार है, बुढ़ापा है, बाल बच्चे हैं। आज हम दूसरे कामों में बहुत रुपया ख करते हैं, हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। मैं स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा एक संगठन है–अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जिसमें, यह बहुत फख्र और गौरव की बात है, सभी दलों के लोग हैं और सभी दलों के लोगों ने एक राय से मांग की है कि भूतपूव स्वतंत्रता सेनानी संसद् सदस्यों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन मिलनी चाहिये। तमाम दलों के लोगों ने इसका समथन किया है। आज उसी का सहारा लेकर मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप 300 रुपया माहवार पेंशन देते हैं उसको बढ़ाइये, उससे काम नहीं चलेगा। आज पार्लियामेंट के सदस्य अपना वेतन-भत्ता बढ़वाने के लिये जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उसके पक्ष में भाषण कर रहे हैं, इनका काम तो हो ही जायगा, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी 300 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे। इसलिये उनका भत्ता 400 रुपये जरूर कीजिये साथ ही 100 रूपया उनको चिकित्सा के नाम पर दीजिये। यदि आप उनको 500 रुपया नहीं देते हैं तो वे अपना पालन-पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये स्वतंत्रता सेनानी जितने दिनों तक जिन्दा रहेंगे भारत के नौजवानों के लिये प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। यह अलग बात है कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां के बारे में इतिहास में कोई जगह नहीं है, बच्चों को उनकी कुर्बानियों के संबंध में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। मेरा अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये, इतिहास में उनके संबंध में लिखा जाना चाहिये। यह एक अलग पहलू है, लेकिन उनके जिन्दा रहने के लिये आर्थिक मदद उनको जरूर दी जानी चाहिये।

अगर स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उन की पत्नी पेंशन की अधिकारिणी हो जाती है, परन्तु उन को आप केवल 200 रुपये दे रहे हैं—यह अन्तर क्यों ? औरतों को क्या कम खाना पड़ता है, उनके लिये क्या कम मंहगाई है ? इस लिये मेरा अनुरोध है कि स्वतंत्रता सेनानी के मृत्यु के बाद उन की बेवा को भी उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिये

अब आप चिकित्सा की बात को लीजिये, चिकित्सा के मामले में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत परेशान हैं । हमारे गया में, मंत्री जी उनको जानते हैं, श्री श्यामाचरण बर्थुआर हैं जो अंडमान के प्रिजनर थे । उन्होंने जोश में उस समय, जब कम उम्र के थे, पेंशन नहीं ली । उन्होंने कहा—हम ने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिये नहीं लड़ी थी ।

13.00 hrs,

इस के लिये उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं लेकिन आज वे मृत्यु शय्या पर पड़े हुये हैं । बीमार लोगों की तरफ़ बिहार सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है । अभी आपने रामनन्दन मिश्र जी की बात सुनी । जब वे समाजवादी थे तब उन से प्रेरणा ले कर हम लोग समाजवादी आन्दोलन में शामिल होते थे । उनके लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये । इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shastri, you can ask the Government to extend the C.G.H.S. Scheme to this category of pensioners also as it is being extended to retired Government servants.

श्री रामावतार शास्त्री : कई स्टेट्स ने ऐसा किया है लेकिन उनको पूरा पूरा फायदा नहीं होता है और किसी की भर्ती नहीं होती है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I say C.G.H.S. Scheme can be extended to these pensioners.

श्री रामावतार शास्त्री : आप जानते हैं कि जो होशियार स्वतंत्रता सेनानी हैं वे तो भर्ती हो जाते हैं लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं, गरीब हैं समझदार, नहीं है उनको इसका फायदा नहीं होता है । इसलिये ऐसे लोगों को पैसा दे देना ज्यादा अच्छा होगा । इसलिये आप यह पेंशन चिकित्सा सुविधा मिला कर पांच सौ रुपये दीजिये । इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

यह सवाल बार बार उठ रहा है । यह सवाल परामर्शदात्री समिति में भी उठ रहा है, बाहर भी उठ रहा है ? संगठन की तरफ़ से भी निवेदन किया गया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shastri, are you going to conclude now?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then you can continue after lunch.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.10 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सन् 1931 में गांधी-इर्विन समझौते के समय बहुत सारे लोग 6 महीने की सजा पूरी करने के पहले ही रिहा हो गये । उनके लिये सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि जो 5 महीने जेल में रहे हों, उनको पेंशन

[श्री रामावतार शास्त्री]

देते हैं लेकिन जो 4 महीने या साढ़े 4 महीने जेल में रहा हो उनको नहीं देते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। मेरा निवेदन है कि जो समझौते की वजह से जेल से जल्दी छूटे, उनको भी पेंशन की पूरी राशि मिलनी चाहिये। इस कैटेगरी के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की राशि मिलनी चाहिये। ऐसे बहुत से लोग हमको पत्र लिखते हैं कि हमने कौन सा अपराध या जुर्म किया है कि हमको इसमें से छांट दिया गया है।

उसके बाद 18-6-81 को भारत सरकार ने उदार पेंशन योजना के संबंध में एक परामर्शदात्री समिति केन्द्रीय स्तर पर गठित की। उसकी 5,6 मीटिंग हो चुकी हैं और एक मीटिंग 18-6-81 को हुई थी। उस मीटिंग में हम लोगों ने कुछ छूटे हुये स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था। जैसे पुनपरा, वायलार, तेलंगाना, रानी झांसी रेजीमेंट, कूका वगैरह। 7, 8 ऐसे कैटेगरी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र बगावत की थी। उनका फैसला हो गया कि उनको पेंशन दी जाये, लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया, अभी वह मसला फाइनेंस विभाग में पड़ा है, पता नहीं क्यों ऐसा है? इसके बारे में जल्दी ही निर्णय लिया ज़ाना चाहिये।

अभी 6 जुलाई को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन की मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसने भी मांग की है कि उन निर्णयों को फौरन लागू कि जाना चाहिये।

मेरा कहना यह भी है कि नकली सेनानी भी बहुत से पैदा हो गये हैं। जो कभी जेल नहीं गये, वह भी स्वतंत्रता सेनानी बन गये। ऐसे लोगों को सख्ती से पकड़ना चाहिये। इस तरह से जनता के पैसे को लुटाने का किसी को अधिकार नहीं है और अगर उनको देते हैं तो इससे टेक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है और इतिहास भी गलत लिखा जायेगा। ऐसे लोगों का नाम भी इतिहास में जुड़ जायेगा कि ये भी फ्रीडम फ़ाइटर थे। इसलिये नकली सेनानियों के खिलाफ़ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये।

मैंने दर्जनों चिट्ठियां लिखी हैं जो कि इस की फाइलों में लगी हुई है। कितनों के नाम मैंने कटवाये हैं और अभी भी कितने ही बाकी है।

आखिर में मैं यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी बिल का संशोधन हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि जब यह उदार पेंशन योजना लागू हुई तो 5,000 रुपये की आय की सीमा उठा दी गई और सभी लोगों को पेंशन मिलने लग गई। जो स्वतंत्रता सेनानी अधिक आमदनी की वजह से पेंशन नहीं ले पा रहे थे उनको भी यह मिल गई और 1-8-80 से ही मिली, क्योंकि उसी दिन यह उदार पेंशन की घोषणा उस समय के गृह मंत्र ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस सदन में की थी।

मेरा कहना यह है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी 1-8-80 से ही पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिए कि बिल आज पास हो रहा है तो कानून आज से ही बनेगा। उनको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से पेंशन मिलने वाली बात होनी चाहिए। मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह और कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन उदार पेंशन योजना के अधीन अन्य स्वतंत्रता सैनिक की तरह 1 अगस्त, 1980 से देय होगी।"

सरकार को इस संशोधन को मान लेना चाहिए।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेन्शन की राशि को 300 रुपये से बढ़ा कर चिकित्सा

भत्ते समेत—इनकूलडिंग मेडिकल एलाउंस—500 रुपये कर दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : अधिक क्यों नहीं ?

श्री रामावतार शास्त्री : माननीय सदस्य यह बात कह सकते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। मैंने यह वाजिब समझा है।

स्वतंत्रता-सेनानियों की विधवा पत्नियों को भी स्वतंत्रा-सेनानियों के बराबर ही पेन्शन दी जाए। अगर स्वतंत्रा-सेनानी को 300 रुपये या 500 रुपये मिलते हैं, तो उसके मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी को भी उतने ही रुपये मिलने चाहिए।

1931 में गांधी-इरविन पैक्ट के फलस्वरूप जो लोग रिहा हुए थे, उन सब को पेन्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज़ के बारे में हमने पिछली मीटिंग्ज़ में जो फ़ैसला किया था, उसे अविलम्ब लागू किया जाए।

जो चोटी के स्वतंत्रता-सेनानी हैं, जैसे श्री रामनंदन मिश्र और श्री श्यामकृष्ण बर्थवार, जो अंडमान जेल में रह चुके हैं और अब गया में डेथ बैड पर हैं, ऐसे लोगों की अलग से यहां पर आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा कराई जाए, ताकि उन को कुछ राहत मिल सके।

जहां तक भूतपूर्व संसद्-सदस्यों का सम्बंध है—हम लोग भी भूतपूर्व होने वाले हैं और बीच में हो भी चुके हैं—उनको पेन्शन दी जाती है 350 रुपये और मैक्सिमम 500 रुपये। महंगाई सब के लिये बढ़ती है—मंत्री के लिए भी बढ़ती है, मजदूर और किसान के लिए भी बढ़ती है और भूतपूर्व संसद्-सदस्यों के लिए भी बढ़ती है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : जरा हमारा भी ख्याल रखें। एम पीज़ की तन्ख़्वाह भी बढ़ाएं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह विषय आपके लिए रिज़र्व कर दिया है। आप उस पर बोलने वाले हैं।

भूतपूर्व संसद्-सदस्यों की पेन्शन की राशि बढ़ानी चाहिए, 350 रुपये और 500 रुपये की सीमा बढ़ानी चाहिए। आज के ज़माने में यह रकम पर्याप्त नहीं है।

मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से मंत्री महोदय मेरी बातों को ज़रूर समझ गए होंगे। स्वतंत्रता-सेनानियों को राहत पहुंचाने के लिए मैंने जो सुझाव दिए हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेन्शन परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई जाए और उसमें विचार कर के इन सुझावों को कार्यान्वित किया जाए।

हमारे अखिल-भारतीय स्वतंत्रता-सेनानी संगठन में सभी दलों के लोग हैं। अब तक हम लोग एकमत से बातें करते हैं। हमारे साथी ने अभी विरोधी किया है, लेकिन मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के श्री शिव वर्मा, जो बहुत पुराने स्वतंत्रता-सेनानी हैं और भगतसिंह के साथी हैं, और भूतपूर्व संसद्-सदस्य, श्री गणेश घोष, हमारे साथ हैं और हम लोग मिल कर इस संगठन को चलाते हैं।

और कोई झंझट-झगड़ा नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि सेनानियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें और सुविधायें दिलवा सकें ताकि अधिक दिनों तक वे जिन्दा रह कर इस देश के नौजवानों को प्रेरणा देते रहें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारी सरकार ने और हमारी नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस संशोधन विधेयक को इस सदन में पेश करके स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति एक और सम्मान प्रकट किया है । यह देश और इस देश की जनता स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की हमेशा ऋणी रहेगी । इस देश की आजादी के लिए स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, इसमें जो उनका अपना योगदान रहा है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं । इसके लिए उनको जितनी भी अधिक से अधिक सहूलियतें और सम्मान दिया जाए, वह कम ही होगा । आजादी के लिए संघर्ष के उन दिनों को याद किया जाए, जब स्वतन्त्रता के दीवाने इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय बहुत सारे स्वतन्त्रता-सेनानी शहीद हो गए और आज जो लोग बचे हैं उनकी संख्या दिन व दिन कम होती चली जायेगी । इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें, दी जायें । यदि आज की मौजूदा स्थिति में स्वतन्त्रता सेनानियां का सर्वेक्षण कराया जाए तो आपको मालूम होगा कि उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी ही नाजुक स्थिति में हैं । मैं शास्त्री जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बहुत से स्वतन्त्रता-सेनानी इलाज के अभाव में अकाल मौत के मुंह में चले गए । आज उनके बीबी-बच्चों की स्थिति को देखकर बड़ी दया आती है ।

संसद और संसद के बाहर भी एक अरसे से यह मांग उठती रही है कि भूतपूर्व संसत्सदस्य, जोकि स्वतन्त्रता-सेनानी भी हैं, उनको स्वतन्त्रता-सेनानी के रूप में जो सम्मान या पेंशन मिलती है वह भूतपूर्व संसत्सदस्य की पेंशन के लेखे में नहीं गिनी जानी चाहिए । संसत्सदस्यों के वेतन-भत्ते सम्बन्धी जो ज्वाइण्ट कमेटी बैठी थी उसने भी यह सिफारिश की है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके हालात को देखते हुए अधिक से अधिक उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए तथा उनकी सुविधाओं में भी वृद्धि की जाए । स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक के रूप में उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है, उसके लिए सरकार की ओर से उन को पेंशन मिलती है तथा दूसरी ओर संसत्सदस्य के रूप में उन्होंने जो इस देश की सेवा की है, उसके लिए उन्हें भूतपूर्व संसत्सदस्य के रूप में पेंशन मिलती है । दोनों का आपस में कोई वास्ता ही नहीं है इसलिए उनको दोनों पेंशनें साथ साथ मिलनी चाहिए तथा उसकी राशि भी बढ़नी चाहिए ।

मैं शास्त्री जी की इस बात से भी सहमत हूं कि इस देश में बहुत से लोगों ने जेलों में जा कर और अधिकारियों से मिल कर जाली प्रमाण-पत्र ले लिए हैं जब कि वे कभी भी अपने जीवन में स्वतन्त्रता सेनानी नहीं रहे और न ही कभी जेल यात्रा की । कुछ अफ़सरों की मिली-भगत से उन्होंने जाली सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं और आज वे भी स्वतन्त्रता सेनानियों को सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इस तरह से लाभ उठा रहे हैं, उनको यह सुविधायें बन्द होनी चाहिए ।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों और बहनों के लिए अनुदान दिया जाता है । इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उसको भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनकी

पुत्रियों या उनकी बहनों की शादियों के लिए या जब उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट आ जाता है, उनको दूर करने के लिए उनको विशेष रूप से मदद देनी चाहिए। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यू के बाद स्वतन्त्रता सैनानी की विधवाओं को जो पेंशन मिलती है, इस प्रावधान का खत्म करके उनको भी उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए जितनी कि स्वतन्त्रता सैनानी को मिलती थी।

हमारी सरकार दूसरी श्रेणी के लोगों को भी पेंशन देती है, जैसे वृद्धाओं को, कलाकारों को, भूतपूर्व संसद् सदस्यों और विधायकों, को, और भूतपूव कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दी जाती है। सरकार कोई व्यापारी तो है नहीं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक परिवार में पिता का स्थान होता है और वह अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए हर तरह की सुविधायें जुटाता है, उसी तरीके से सरकार को भी यह करना चाहिए और उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उन समस्त लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए हर तरह की सुविधायें उनको दे। स्वतन्त्रता सैनानियों को अपने में एक विशेष महत्व है, क्योंकि इनके कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ और जब तक हिन्दुस्तान रहेगा, हिन्दुस्तान में लोग रहेंगे, तब तक स्वतन्त्रता सैनानियों का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी कुर्बानियों, तपस्याओं और त्याग को देखते हुए उनकी पेंशन की राशि में बढ़ौतरी की जाए और उनको अधिक से अधिक सुविधायें, जितनी भी सरकार दे सके, दे। इसी सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय यह बिल लाए हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय को और हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को और सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समथन करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Prof. Ajit Kumar Mehta may speak. I will request every hon. Member not to take more than five minutes because we have got to complete this Bill. One-and-a-half hours are recommended by the BAC for this Bill.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): Extend the time, Sir, it is a very important Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is no repetition, five minutes time is sufficient on a small amendment, on a non-controversial amendment.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anything said by a Member sitting, please don't record.

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मीरा-बैन का नाम आप रिकार्ड में नहीं देंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What do you want?

SHRI MANI RAM BAGRI: I said that you should remember the name of Mira Behn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That can be recorded. Only when you sit and make a statement, it will not be recorded.

SHRI MANI RAM BAGRI: Now, I am standing here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you have taken my permission. Now it is

*Not recorded.

[Mr. Deputy Speaker]

on record. Otherwise, if you talk without my permission, it will not be on record.

Now, Prof. Ajit Kumar Mehta may start.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इसको महसूस किया है और अन्ततोगत्वा इस बिल को इस सदन में लाने का कष्ट किया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। किन्तु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। मंत्री महोदय ने इस बिल के उद्देश्य के कथन में कहा है कि --

"The pension payable to freedom fighters under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme is really for the purpose of honouring those who participated in the freedom struggle."

यदि यह स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल होने वाले लोगों के सम्मान स्वरूप पेंशन की राशि दी जाती है, तो केवल भूतपूर्व संसद् सदस्यों को ही इसमें क्यों छूट दिया गया है, यह छूट तो सब के लिए होनी चाहिए थी; जो किसी भी प्रकार की पेंशन पाते है, क्योंकि उन्होंने भी देश की सेवा किसी-न-किसी रूप में की ही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता सैनानी को पेंशन मिल रही है और वह कोई दूसरी पेंशन भी पा रहा है, तो उस पैंशन में इस पैंशन की राशि को घटा दिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि इस तरह की छूट उनको भी मिलनी चाहिए-- ऐसा मेरा आपसे निवेदन है मैं समझता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन उनको मिलने से उनके सम्मान में अधिक वृद्धि तो नहीं कम से कम स्वतन्त्रता सैनिक के सम्मान का जो स्तर है, उस स्तर का सम्मान तो उन्हें मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त मैं यहां पर माननीय मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपने यह स्वीकार किया है कि संसद् सदस्य चाहे वह वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य है उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से आपने इस पैंशन को किसी और राशि में न जोड़ कर मुक्त रखा है, ताकि किसी प्रकार की कमी न होने पाए। मैं इस संदर्भ में अपने कुछ जविचार व्यक्त करना चाहता हूं।

वास्तव में संसद् सदस्यों को वे सुविधायें मिलनी चाहिए, जो कि उनके लिए आवश्यक हैं। जैसे हम लोगों के पास सैंकड़ों पत्र आते हैं और भजने वाला कम से कम यह उम्मीद करता है कि उस पत्र पर जो कार्यवाही हुई है, उससे उनको अवगत कराया जाये। एक आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह सब पत्रों का देख सके औरउस पर उचित कार्यवाही कर सके और साथ ही साथ सब को उससे अवगत करा सके। इसलिए कुछ दिन पहले इस सदन में संसद् सदस्यों की ओर से यह मांग की गई थी कि संसद् सदस्यों की की सुविधाओं को बढ़ाया जाए और उनके लिए सचिव की व्यवस्था की जाए। मैं यह नहीं कहता कि संसद सदस्यों को इस तरह की राशि दी जाए, लेकिन यह सुविधा तो उनको दी ही जानी चाहिए।

दूसरी बात, हमें जो राशि मिलती है, संसद सदस्य के रूप में, वह इतनी कम है कि अगर हम संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहें तो एक दिन में काफी खर्चा आता है और भ्रमण कठिन हो जाता है। मेरा अपना क्षेत्र समस्तीपुर इतना बड़ा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। लगभग 40 किलोमीटर

लम्बा और करीब करीब इतना ही चौड़ा है। पूरे क्षेत्र में एक महीने में नहीं तो कम से कम दो-तीन महीने में एक दफा संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र का भ्रमण तो करना ही चाहिए, ताकि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो सकें और विभिन्न मंचों पर उठा सकें। इस लिए संसद सदस्य को अपने क्षेत्र का भ्रमन करने के लिए उसे अकितने खर्च की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान आप लगाइए, । और उसकी व्यवस्था कीजिए । मैं अधिक सुविधाओं की मांग नहीं करता लेकिन उतनी सुविधाएँ तो मिलनी चाहिए जिनसे कि वे एक संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभा सकें जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान करने में क्या कठिनाई है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं ।

पिछले दिनों आपने मूलचन्द डागा जी के विधेयक पर बहस के दौरान इस सदन को कुछ आश्वासन दिया था और उसके बारे में मंत्री महोदय को याद दिलाने का यह बहुत उचित समय है। आप कम से कम उन आश्वासनों को तो पूरा कीजिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य वेतन भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 1982 का समर्थन करता हूं और इसके सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को मेडिकल फेसिलिटीज नहीं हैं । उनको मेडिकल फेसिलिटीज भी मिलनी चाहिएं । अगर उनको भी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ले आए, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था, तो निश्चित तरीके से उनको पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी । इस स्कीम के तहत उनको दवा वगैरा मिल सकती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि स्वतंत्रता सेनानियों को रेल का फ्री पास मिलना चाहिए ताकि उनको एक जहग से दूसरी जगह ट्रैवल करने में सुविधा हो और वे अपने काम का सुचारु रूप से कर सकें ।

तीसरा मेरा सुझाव उनको टेलीफोन प्राथमिकता के आधार पर देने के बारे में है ताकि वे अपने राजनीतिक केऔर अन्य कार्य अच्छी प्रकर से कर सकें । बेसक आप उन्हें फ्री पास न दीजिए लेकिन यह सुविधा आप प्राथमिकता के आधार पर दे कर उन्हें राहत पहुंचाएं । यह व्यवस्था करना भी नितान्त आवश्यक है।

जो भूतपूर्व संसद् सदस्य हो गये है उनको भी इसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिएं । उनको भी सी०जी० एच० एस० के तहत मेडिकल फेसिलिटीज मिलनी चाहिएं, रेल का फ्री पास मिलना चाहिए, टेलीफोन की सुविधाएं मिलनी चाहिएं ताकि वे भी अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें। यह व्यवस्था करना भी आवश्यक है ।

हमारे भीलवाड़ा जिले में एक बजोलिया गांव है । वहां के किसानों ने सब से पहले स्वतंत्रता आन्दोलन किया था। यह आन्दोलन 1931 के पहले हुआ था। और इसे बिजौलिया आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इस आन्दोलन में हिस्सा लेने वालों को भी स्वतन्त्रता सेनानी मान कर उनके लिए भी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए ।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अब मुझे मेम्बर ग्राफ पालियामेंट के सम्बन्ध में निवेदन करना है। जब डागा साहब बिल लाये थे तो उस समय भी कुछ आश्वासन मिनिस्टर साहब ने दिया था.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: What has the assurance of the Minister got to do with this amendment? You expect a reply now;

श्री गिरधारी लाल व्यास : पिछली दफा जब डागा साहब बिल लाये थे उससमय भी मैंने अपका ध्यान आकृष्ट किया था और मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था लेकिन उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ज्वाएंट कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसके सम्बन्ध में भी कोई निर्णय शीघ्र कीजिए और उनके बारे में भी व्यवस्था को शीघ्र लागू कीजिए।

यहां रेल मंत्री महोदय भी विराजे हैं। उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। संसद् सदस्य की पत्नी को सेशन के दौरान आने-जाने का पास मिलता है। उसके बीच में आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से पालियामेंट के सदस्य को आपने पास दे रखा है उसी प्रकार से उसकी पत्नी के लिए भी पास होना चाहिए।

अपने देश में पालियामेंट के सदस्य को जितना कम वेतन, जितना कम भत्ता और जितनी कम अन्य सुविधाएं मिलती हैं उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं मिलती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अमीर देशों की बात तो छोड़ दीजिए लेकिन अपने जो आसपास के देश हैं जैसे कि बर्मा, सीलोन आदि, इन देशों में सुविधाएं देख लीजिए। उन स्थानों में इस देश के पालियामेंट के सदस्यों से ज्यादा पैसा मिलता है। ज्यादा भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए इन सारी सुविधाओं को दिया जाना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are not speaking on the Bill; you are speaking on something else. Please conclude now.

श्री गिरधारी लाल व्यास : दो तीन सुझाव और देना चाहता हूं। जिला स्तर पर जितनी कमेटियां हैं, उनका चेयरमैन पालियामेंट का सदस्य होना चाहिए। आपकी तरफ से आदेश भी राज्य सरकारों को दिए हुए हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are making points which have nothing to do with the Bill. These things you have to say in your party meeting.

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक बात और है कि सारे क्षेत्र में जाने के लिए आप एक हजार रुपया एलाउंस देते हैं, जो कि बहुत कम है। एक हजार रुपया तो एक बार जाने में ही खर्च हो जाता है। इस तरह से सदस्य अपने क्षेत्र का निरीक्षण सही तरीके से नहीं कर सकता। हम पैसा नहीं चाहते, लेकिन हमको डिस्ट्रिक्ट पूल से महीने में 8 दिन के लिए जीप मिलनी चाहिए, जिससे हम अपने क्षेत्र का निरीक्षण भली भांति कर सकें।

MR. DEPUTY SPEAKER: We are not discussing the Bill as a whole; it is only a particular amendment. You are a very senior member; you will have many other opportunities. You conclude. Shri Ram Lal Rahi.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसी प्रकार से सदस्य के लिए पी० ए० और टाइपिस्ट की व्यवस्था भी आवश्यक है, ताकि संसद सदस्य पत्र-व्यवहार कर सके और समस्याओं

के बारे में सरकार को सूचित कर सकें। इसको करना बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्यों से पानी, बिजली और मकान का किराया नहीं लिया जाता, लेकिन संसद सदस्यों से यह सब लिया जाता है। यह व्यवस्था भी फ्री की जानी चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not a single word about the amendment. I am not permitting you any more.

SHRI RAM LAL RAHI:

श्री राम लाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते और पेंशन संबंधी जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं और साथ ही मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मुनासिब तो यह होता कि सुझावों के आधार पर यह बिल तैयार किया गया होता और पेश किया गया होता तो सांसदों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और स्वतंत्रता सैनानियों को प्रभावी तौर पर लाभ होता। मान्यवर, आज हम जिनकी बदौलत यहां सदन में बैठे हैं, ब्रिटिश सत्ता से लड़ने वाले लोग जो अब बहुत थोड़ी संख्या में रह गए हैं, उनकी हालत बहुत जर्जर है। उनकी काफी उम्र हो गई है और इस उम्र में बीमार रहना स्वाभाविक है। हमारे कई सदस्यों ने सुझाव दिया है और मैं भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ पेंशन के नाम पर या व्यवसाय के नाम पर, कहीं आरक्षण कर दिया गया है— जो कुछ किया जा रहा है यह इन स्वतंत्रता सैनानियों के लिए बहुत कम है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इनके लिए जितना किया गया वह कम है। लेकिन सम्मानजनक तरीके से नहीं किया गया। कल मैंने नियम 377 में भी एक मुद्दा उठाया था, और आज फिर कहना चाहता हूं कि पेंशन बहुत कम मिलती है, स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन बढ़ायी जानी चाहिये। एक और दिक्कत है जब स्वतंत्रता सैनानी मर गया तो उसकी विधवा को आधी पेंशन दी जाती है। यह कौन सी तुक है? आखिर उसका परिवार तो उसी पर निर्भर करता है। उसको तो ज्यादा पेंशन दी जानी चाहिये, बजाय कम के। इसलिये उसमें कमी नहीं की जानी चाहिये, पूरी पेंशन दी जानी चाहिये।

स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में स्वतंत्रता सैनानियों की बड़ी उपेक्षा की जाती है, उनका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। अगर कोई साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाता है उसको तो डाक्टर देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई स्वतंत्रता सैनानी, जो कि बूढ़ा हो चुका है, मामूली कपड़े पहन कर जाता है तो उसको अस्पताल के दरवाजे से ही भगा दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि संसद सदस्य, जनप्रतिनिधि, वी०आई०पीज० से ऊपर इनको प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये मिलनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका ही अपमान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आजादी का अपमान किया जा रहा है। इसलिये आप प्रान्तीय सरकारों को स्पष्ट आदेश दें कि कड़ाई से इस बात को देखा जाये कि स्वतंत्रता सैनानियों की दवादारू की समुचित रूप से व्यवस्था हो और इस पर उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होने दिया जाये। यह सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी हो। मैं चाहूंगा मंत्री जी आज ही इस बात की घोषणा सदन में करें।

जिन लोगों ने हमें आजादी दिलायी वह पैदल नाप रहे हैं बुढ़ापे में और हमें यात्रा की यह सुविधा है कि अपने साथ में एक और फ्री ले कर के चलें। यह अपमान की बात है। हमारे लिये

[श्री रामलाल राही]

यह अपमान की बात है कि अपनी सुख सुविधा को बात ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जिनके कारण यहां बैठे हैं उनके बारे में कतई नहीं सोचते हैं। स्वतंत्रता सैनानियों की थोड़ी तादाद रह गई है, इनकी फर्स्ट क्लास का पास दिया जाये।

हमारे यहां धर्म शास्त्रों में यह बात है कि वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करें। ऐसे समय में उनको वैसे ही 2, 4, 5, 10 हजार किलोमीटर तक फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिए प्रथम श्रेणी में ताकि वे अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा कर सकें और देख लें कि 35 सालों में इस देश का कैसा नक्शा बना है। क्या भूखे नंगे पेट वाले अभी भी इस देश में विद्यमान हैं या कुछ परिवर्तन उनकी हालत में आप कर पाये हैं।

स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, लोग शहीद हुए, अपने परिवारों को छोड़ा सम्पति को नष्ट कर दिया। कुछ लोगों का तो नाम इतिहास में है। कुछ के नाम लिखे हुए हैं चाहे लोक सभा के अन्दर चाहे सेंट्रल हाल में कुछ की फोटो भी लगी हैं। लेकिन अगर गांव में गांव सभा के कार्यालय में या जिला परिषद् के कार्यालय में देखें तो यह पता नहीं चलता है कि इस गांव के किन आदमियों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। सभी स्वतंत्रता सेनानी समान हैं, वे चाहे छोटे रहे हों या बड़े, सब का पता नोट किया जाना चाहिए और सब की फोटो इकट्ठी की जानी चाहिए और इतिहास बनाया जाना चाहिए ताकि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के लोगों की फोटो सेंट्रल हाल में लगी हैं उसी तरीके से गांव सभा के कार्यालय में भी गांव के स्तर के लोगों की फोटो लग सके और आने वाली पीढ़ी को और हमको देख कर उनके इतिहास का आभास हो सके यह अति आवश्यक है।

यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है।

उनके स्मारक के तौर पर, यादगार के तौर पर भी आपको काम करने चाहियें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप काम कर रहे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, आप जनहित में सड़क, पुल, पुलिया बनवा रहे हैं, चाहे शोध संस्थान खोल रहे हैं तो केवल संजय गांधी और इंदिरा गांधी का ही नाम इन सारी जगहों पर आ रहा है, यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

(व्यवधान)

क्या हर जगह लगाने के लिये केवल यह दो नाम ही रह गये हैं। जगह-जगह लाखों लोगों के नाम हैं, उनके नाम भी उजागर होने चाहिएं रोशन होने चाहिएं। वहां सार्वजनिक संस्थानों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जाने चाहियें ताकि याद-गार के रूप में हम और वहां के लोग उनका नाम ले सकें, और राष्ट्रीयता का बोध उनका हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप जोर डालकर सरकार से कहें कि सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिये सम्मान-जनक तरीके से कुछ न कुछ करने का प्रयास करें ताकि जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई है उनके नाम का यश हम गा सकें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें। हमारा भविष्य उनकी याद करके, उनके इतिहास को समझकर, सुनकर, उनका गौरवमय इतिहास राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर चले और इस तरह से हम देश को प्रगति की तरफ, विकास की तरफ लेकर चलने में सफल हों।

श्री डी॰ पी॰ यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, यह बिल बहुत छोटा और सीमित है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

संसद्-सदस्य को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें सारा सदन एकमत है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कोने से इसका विरोध हुआ है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं और उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर तथा सम्मान भी प्रकट करता हूं जिनके कारण आज हम इस सदन में बैठे हुए हैं।

मैं इस देश के उस जिले से आ रहा हूं जहां स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या अधिक है। सारे देश में सबसे अधिक संख्या बिहार की है और बिहार में भी सबसे अधिक हमारे जिले मुंगेर की है।

एक माननीय सदस्य : सारण की है।

श्री डी० पी० यादव : नहीं, मुंगेर की है। मैं उस परम्परा वाले स्थान से आ रहा हूं जिसका कर्तव्य रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करे।

उन स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या सपना देखा था ? एक नया भारत बनेगा, स्वतंत्र भारत बनेगा। एक सपने की रचना में सदन का निर्माण हुआ और इस सदन के सदस्यों के क्या कर्तव्य हैं, इस पर भी आज चर्चा होनी चाहिए। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सदन के सदस्य अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं हैं। उन साधनों के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए।

भीष्म नारायण जी और वेंकटसुबैय्या जी यहां रहते हैं और यदा-कदा जब बात करते हैं तो अंडर कंसीडरेशन कहते हैं। पिछले फरवरी माह में पी० सी० सेटी जी ने सदन के सामने कहा था कि आप लोगों की सुविधा के लिए रेलवे के दो पास मिलेंगे, आज 5 महीने गुजर गये, मैं नहीं समझता कि रेलवे का एक और पास देने में कौनसा अधिक झंझट का काम है जिसको भीष्ण नारायण जी या वैंकटसुबैयया जी नहीं कर पा रहे हैं। यह बात रिकार्ड पर है। अगर कबीना स्तर के मंत्री इस पर चार चार, पांच पांच महीने तक विचार न कर सकें, तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

किसी मौके पर, किसी त्यौहार पर, ईद हो, दीवाली हो, क्रिसमस हो, मंत्रियों के द्वारा लोगों को ग्रीटिंग्ज कार्ड भेजे जाते हैं। उसमें कार्ड की छपाई और पोस्टेज का खर्चा लगता है। अगर मंत्री इस प्रकार फ्री भेज सकता है, तो संसद्-सदस्य को भी फ्री भेजने का अधिकार होना चाहिए। मंत्री तो आफिशियल ढंग से खर्च करते हैं। और एम० पीज़० से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना पैसा खर्च करें। यह सम्भव नहीं होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, एम० पी० के पास जो पत्र आते हैं, क्या उनका जवाब देना है या नहीं ? प्रतिदिन औसतन 30, 32 पत्र भेजने पढ़ते हैं, जिन पर औसत खर्चा 30 रुपये होता है। हम लोग 900 रुपये महीना पोस्टेज का खर्चा कैसे वहन कर सकते हैं ? मंत्री महोदय यह व्यवस्था कर दें कि जिस पत्र पर पार्लियामेंट के मेम्बर की मुहर लगी हो, वह फ्री जाएगा। यह कौन सी बड़ी बात है, जो श्री भीष्म नारायण सिंह नहीं कर सकते। मंत्री लोग संसद्-सदस्यों की सुविधाओं को नज़र-अंदाज कर देते हैं उन्हें इसका ख्याल नहीं रहता है।

मंत्री लोग उद्‌घाटन करने के लिए या किसी अन्य काम से जहां जाते हैं, तो उनके लिए हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, उनके आगे पीछे अगल-बगल में कार होती है। (व्यवधान) संसद्-सदस्य जिन बंगलों में रहते हैं, उनके रख-रखाव का क्या हाल है ? पानी नहीं मिलता है। टेलीफोन की हालत बदतर है। हमारे यहां तीस तीस गेस्ट आते हैं। क्या उन्हें एक कप

[श्री डी॰ पी॰ यादव]

चाय पिलाने की सुविधा भी हमें नहीं दी जाएगी ?

कहा जाता है कि सिक्स फ़ाइव यीअर प्लान को संसद सदस्य इम्प्लीमेंट करायेंगे। लेकिन संसद सदस्य अपने क्षेत्र में कैसे जायेंगे, इस का कोई प्रावधान नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिये, नये भारत का निर्माण करने के लिये संसद सदस्य अपना योगदान दे सके, उसके लिये जो सुविधायें आवश्यक है, श्री वेंकटसुब्बयया उन्हें मुहैया कर दें, यही निवेदन आपसे करना था।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now the Minister will reply.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: No, no. The time is over. The Minister will reply 1-1/2 hours were allotted for this Bill and it is over. This is extra time. If every member keeps to time, this trouble would not arise. Some other time you can take. Now the Minister will reply. I am sorry. Please stick to the time..... (*Interruptions*) No, no, I am not allowng anybody. The time is over and now the Minister will reply.... (*Interruptions*) Please don't record anything. I am sorry. If you want to stall the proceedings, I am sorry. 1-1/2 hours were allotted and already 1-1/2 hours is over and this is extra time. If you do not stick to the time factor, we cannot conduct the proceedings of the House. I am not permitting..... (*Interruptions*) No, no, I have asked the Minister to reply. I will not go back.... (*Interruptions*) This is not the way. You must obey the Chair. If you do not obey the Chair we cannot conduct the proceedings.

The Minister will please reply now.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am highly thankful to all the hon. Members who participated in this debate starting from our friend belonging to the CPM to the last speaker, Mr. D. P. Yadav.

15 hrs.

As I told you, this amending Bill is very limited in scope. Of course, I can very well understand the feelings of the Members with regard to facilities to be provided to them as Members of Parliament. Also Shri Shastri Ji pleaded for some more facilities to be provided to the freedom fighters as a whole in the matter of raising the quantum of their pension as also medical facilities. The hon. Member also said that the widows should also get as much pension as the freedom fighters were setting. He has referred to a number of points in his speech.

There is an Advisory Committee constituted for this purpose. Shri Shastri Ji is also a Member. Honourable Shri Ranga and Shri Kamalapati Ji are also Members. All the points made by him I shall refer to that Advisory Committee. This matter about the emoluments or salaries of Members of Parliament has been debated in this House on Shri Mool Chand Daga's motion. The Minster for Parliamentary Affairs has taken note of those matters which had been raised time and again in this House. So, it is not as though the Government is not sympathetic or is not considerable about the genuine demands which have been put forward by the Members of Parliament. So, all those matters are being considered. Whatever suggestions have been made on the floor of this House by the Members in this regard, though not fully relevant to the Bill that is before the House, will be taken into consideration.

Sir, the Minister for Railways has informed me that necessary instructions have been issued to the railways to discontinue the realisation of difference in charges between the 1st Class fare and the cost of a two-tier A.C. in the Rajdhani Express. The Ministry

of Railways has already taken some steps in this regard. This is an important thing I want to put on record.

Ths was also a demand made. Iin the Rajdhani Express the additional surcharges were being made from those who travelled by the 2 tier AC. They have shown this little mercy to the Members of Parliament by this action.

In this connection, I shall be failing in my duty if I do not mention this. It is our Prime Minster who has introduced the schme of pension to ex-M.Ps. in 1976. For the first time, this amending Bill has been introduced in this House for giving pension to ex-M.Ps. It is again our Prime Minister who has introduced the Swantantra Sainik Samman Pension for the freedom fighters in 1972. Our Prime Minister is fully aware of the sacrifices made by the Members of Parliament as also the freedom fighters who have given their best for the freedom of the country. So, Sir, it is our constant endeavour to see that whatever facilities could be provided to the freedom fighters will be given.

Shri Shastri has given an amendment that this should be applied retrospectively from the time the liberalised pension scheme has been introduced. In this connection, I would like to point out that those ex-M.Ps. who had only a year out of a five-year term are entitled to Rs. 300 pension and the ceiling of the pension is Rs. 500/-. So, as a freedom fighter and as an ex-M.P. if he has a five-year term he will get the pension. Shastriji, I may mention such members as are getting two pensions—Rs. 200 pension as a freedom fighter and Rs. 300 as an M.P. for having put in a term of five years. It is not as though many of the Members have been deprived of this pension of freedom fighters. Some of them have been drawing this. People like Ranga Ji and myself who have put in more than 25 years' Parliamentary life in this country may be the losers. I had been an ex-M.P. for a few months. I have been here for the last 25 years. So, for such people, there was some difficulty in drawing two pensions. Only to remove that difficulty that comes in the way of those who are drawing Rs. 500 pension as ex-M.P.—as a freedom fighter,—they were not eligible to draw this pension—I with a view to remove this hardship, this amending Bill has been brought before the House.

So, I appeal to hon. Members that Government will take all possible steps to see that whatever facilities are possible are provided to them.

Sir, about the medical facilities I have got a note that almost all the State Governments have been providing medical facilities to the freedom fighters. In the case of Andhra Pradesh free medical treatment and accommodation in Government hospitals is given to all freedom fighters and their wives on a par with MLA's. With few variations all the State Governments, viz., Assam, Bihar, Gujarat; Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territories of Andaman and Nicobar, Arunachal Pradesh, Chandigarh Dadra, Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Delhi are providing medical facilities to freedom fighters. Some of them may not be as liberal as States like Andhra Pradesh but by and large all State Governments are providing medical facilities to freedom fighters. If there is anything specific which is brought to the notice of the Government we will certainly communicate with the State Government and provide whatever medical facilities are necessary.

Sir, mention has been made about veteran freedom fighter, Shri Ramanand ji Mishra. Sir, Government is very considerate and Gianiji was so compassionate and liberal that he had fixed financial assistance from Home

[Shri P. Venkatasubbiah]

Minister's discretionary fund for such people. About special medical treatment to be given to Shri Ramanandji Mishra I will take it up and do whatever is possible.

Sir, this nation cannot afford to forget the great sacrifices made by those people who have fought for the freedom of the nation. Sir. I was surprised to hear my friend, Shri Giri. In this connection I must quote from the letter of one of the Opposition leaders who had written me a letter:

"I don't feel ashamed to remind you that you will be cursed by many if you fail to pass the Parliamentary pension amendment Bill in this Session to enable freedom-fighter-cum-ex-M.Ps. to draw their freedom fighter pension along with Parliamentary pension."

Sir, he is a veteran freedom fighter and has always been in the Opposition who has written me this letter. I do not know what prompted my hon. friend Shri Giri to say all these things. Perhaps he did not get the feel of the freedom struggle and was not involved in the freedom struggle. They never anticipated to become somebody, to sit on the Treasury Benches or to become Members of Parliament. Their sole goal and aim was to get this country free from colonial rule and to get freedom.

With these words, I request Shri Ramavtar Shastri and other friends who have certain Amendments to withdraw them.

We will certainly do whatever is possible. And about the Advisory Committee, I will suggest to my senior colleague, Shri Venkataraman, to call the Advisory Committee as early as possible.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now the question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up Clause-by-clause

Clause 2 (Amendment of Section 8A)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shastriji Are you moving your amendment?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I am not moving my amendment.

MR. DEPUTY SPEAKER: It is not moved.

Shri Shamanna.

SHRI T. R. SHAMANNA: I am moving my amendment and also speaking on it.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now you may move your amendment.

SHRI T. R. SHAMANNA: Page 1,— *after* line 12, insert—

"Provided further that the Swatantrata Sainik Samman Pension shall be payable with effect from the 1st August, 1981." (2)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Ajit Kumar Mehta — he is not here.

Now you may speak on your amendment, Mr Shamanna.

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir, I am thankful to Shri Bhishma Narain for having brought this Amendment as promised in reply to two or three letters that I have written to him.

I was really prompted to send these letters because some of my friends who have become old and bed-ridden, wanted me to bring these things to the attention of the Government of India. Now hat he has done this, I am thankful for that.

Now, Sir, while inaugurating this discussion our hon. friend from the opposition opposed this measure. I am only sorry for this. If my friend had participated in the freedom struggle he would certainly have supported the Bill. I think I may not be mistaken when I say this. Only those who have participated in the freedom struggle know the difficulties and the sacrifices which those people underwent. Our friend may be a Labour Leader. If I just tell him, for the last 6 months the textile mills in Bombay are not running crores of rupees are being lost, please ask your labourers to withdraw the strike and resume work, so that crores of rupees will not be wasted but saved, will he do it? I am sure he will not do it. He referred to so many things which I will not go into.

I had the privilege of being in the freedom struggle from 1930 to 1947. In 1930 I was in Yerawada jail. I was in Yerawada jail for along time. It is not something about which I wish to boast myself. Soon after some of us went to jail, my father became mad. He died in a Mental Hospital. My family did not intimate to me the death of my father just because they thought that I may feel very much and worry myself about it. So, they did not intimate to me. I was able to know it only later. We were all convicted under Martial Law. What happened was, on account of the Gandhi-Irwin Pact all were ordered to be released. In our case, since we were arrested under the Martial law, there was some delay in releasing some of us. We were released and after some months we were asked to go to Karachi Congress where Vallabbhai Patel was the President, for the session there. It was Mr. Bhashyam, the leader of Karnataka. who told me 'your father is not well'. I may tell you some of the sufferings and the sacrifices which we were facing then. We were in Bijapur Central Jail. Then we were transferred to Yerawada Jail. If I tell you one or two incidents you will understand the difficulties which we underwent.

We had open lavatories in these jails. If we sat for more than 2 minutes, the man used to come with a danda and push us out saying 'get up; get up'. What I say is no exaggeration. If you remain more than 2 or 3 minutes, he used to push you out. We allowed our hair to grow; with our hair and dadi we used to go around in Yesawada jail. The next day the barber will come and shave us with a razor which is not at all sharp. He used to shave in such a way that blood was oozing out like anything. It is not exaggeration; but this is what happened. Some people do not know how much sacrifices were made by these persons. That is why I am narrating all these events.

I had the opportunity to participate in the No-Tax campaign held at Sirsi-Sidhapur-Ankola in North Karnataka. How many people lost their Louses? How many houses were sold in auction? In Bardoli in Gujarat, likewise, there was a No-Tax campaign. Many houses were sold in auction. People were killed due to shooting. They suffered in jail for a long time. But none of us expected that we will secure Swaraj one day. It was only Mahatma Gandhi's call that brought a number of people together who were prompted to come forward to fight for the freedom of the nation.

AN HON. MEMBER: What about the amendment?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is talking about the freedom-movement and certain things connected with the same—at least something..

SHRI T. R. SHAMANNA: I am reminded of persons like Motilal Nehru, C. R. Das, Rajaji. They were really earning a lot. They sacrificed all their earnings and plunged into the freedom struggle. What about the Chief Ministers of the first batch namely Shri Rajaji, B. G. Kher, Shukla, Gobind Vallabh Pant and others? They were great Chief Ministers. Even the ICS officers, noted for their honesty, integrity and patriotism, used to express

[Shri T. R. Shamanna]

their great admiration and praise for these Chief Ministers. What excellent Chief Ministers we had then! What sort of Chief Ministers are we having today? There were great and brilliant Chief Ministers at that time and great leaders of the country like Jawaharlal Nehru, Vallabbhai Patel, Bapu Rajendra Prasad, Abul Kalam Azad, etc. They were the great leaders in those days. They scarificed anything and everything for the sake of the country. Even in Opposition, Shri Shyama Prasad Mukherjee and Dr. Ambedkar were such giants. I do not know what has happened now. Those days they were suffering a lot. Without disrespect to others and without disrespect to leaders like Professor Ranga, I may state here that after 1947, among those who joined the Congress many of them helped the British and they came to power. But those great leaders who sacrificed everything never anticipated any benefit when they were fighting for the sake of the country's freedom. They did not aspire to be Ministers or even Members of Parliament. The only thing is that Gandhiji called them to fight for the freedom of the country. Now, after 1947, after independence, we have got new entrants. There is no word like the word 'sacrifice' in their dictionary. The people who have sacrificed, the people who supported the British during the freedom struggle, have got the only aim of grabbing power and amassing wealth as much as possible. They want to get power by adopting any kind of method. Such people are there now. I do not know what will happen to our country. Many such people are at the helm of affairs.

For 17 years, from 1930 to 1947, I have seen people, particularly to ladies I bow my head, who sacrificed everything during freedom struggle. When the 'satyagrahis' went to their house in the villages, they used to give shelter and food. They used to help them in all respects. Those were the days. Now, I am very sorry to express that we are put to great hardships. I will only pray to God that another Gandhiji may come and see that our country is saved from all kinds of evils and corruption.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you pressing for your amendment?

SHRI T. R. SHAMANNA: So, under these circumstances, it is due to verv great sacrifice of thousands that we get freedom and got indepnedence and now a very small amount of Rs. 7.5 lakh will be spent for these suffering lot. I do not know why this was opposed by the hon. Member who initiated the debate.

Now, Sir, for these people who have sacrificed everything you have to give not only the benefit of pension but also I want that they should get pension retrospectively from 1st August 1981. I would be very happy if it is made retrospective. My appeal to my friends is, irrespective of the party affiliations, let us all join and fight against corruption. Let us work hard and be patriots. Unless and until we work hard our country will not prosper. Therefore, let us take a vow now and see that no harm is done to the country's interest at any time. May god give strength to us and with Gandhiji's blessings let us all work together for the country's sake.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, I have already explained about his amendment. It cannot be taken retrospectively. However, I share the sentiments of the hon. Member who is himself a freedom fighter.

SHRI T. R. SHAMANNA: I am not worried about it, Sir........

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruption) *

*Not recorded.

SHRI T. R. SHAMANNA: Iseek leave of the House to withdraw my amendment.

The Amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill"

The Motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Sir, I wish to thank the Government for having brought forward this Bill. I wish to do it on behalf of the freedom fighters of our country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.21 hrs.

CHAPARMUKH-SILGHAT RAILWAY LINES AND THE KATAKHAL-LALABAZAR RAILWAY LINE (NATIONALISATION) BILL.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:*

"That the Bill to provide for the acquisition of the undertakings of the Chaparmukh-Silghat Railway Company Limited in relation to the Chaparmukh-Silghat Railway Line and the undertakings of the Katakhal-Lalabazar Railway Company Limited in relation to the Katakhal-Lalabazar Railway Line with a view to securing the efficient operation of the said Railway lines so as to subserve the needs of the north-eastern areas of India and to protect the links of communication between the said areas and the rest of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The House may recall that while presenting the Railway Budget for 1981-82, a commitment had been made that a Bill for nationalisation of assets of the Chaparmukh-Silghat and Katakhal-Lalabazar Railways will be brought before the House in due course Accordingly, a Bill was introduced in the House on 7-9-1981. That Bill is before the House now.

As the House may be aware, these two metre gauge lines in Assam are connected to the main metre-gauge network of the North-east Frontier Railway. It is proposed to acquire these lines so as to ensure efficient services on these lines which are vital communication links in the North-Eastern areas of the country.

These two lines are at present being worked by the North-east Frontier Railway and, therefore, there would be no case of staff getting rendered surplus or unemployed consequent upon these lines getting nationalised.

The assets of these two privately owned railways are, at present, in a dilapidated condition requiring intensive rehabilitation so as to ensure safe operation of train services. Although, according to the existing agreement, the owning companies are to provide the resources for undertaking the rehabilitation of these lines, the private companies, for want of financial resources, have been unable to meet

*Moved with the Recommendation of the President.